

क्रमांक/राजस्व/2025/.659

दिनांक: 29/10/25

निमित्त:-

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर  
मुख्यालय कोटा

विषय:- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के प्रकरण सं0 141/2016, 104/2016, 85/2016, 87/2019, 60/2019, 93/2019, उनवान मन्दिर श्री चतुर्भुज जी विराजमान खेड़ली पुरोहित बनाम तह0 गजेन्द्र सिंह वगै0 स्थानान्तरण करने बाबत।

प्रसंग:- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटा के आदेश क्रमांक रीडर/डीएम/2025/392 दिनांक 07.10.2025 के क्रम में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश द्वारा न्यायालय हाजा में विचारीधीन राजस्व प्रकरण संख्या दावा प्रकरण सं0 141/2016, 104/2016, 85/2016, 87/2019, 60/2019, 93/2019, उनवान मन्दिर श्री चतुर्भुज जी विराजमान खेड़ली पुरोहित बनाम तह0 गजेन्द्र सिंह वगै0 की पत्रावलीयों श्रीमान के न्यायालय में सीनान्तरित की गई है। उक्त प्रकरणों में आगामी पेशी 29.10.2025 नियत है।

अतः प्रासंगिक आदेश की पालना में उपरोक्त मूल पत्रावलीयों मय प्रासंगिक आदेश के निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित है-

क्र0सं0	धारा	प्रकरण सं0	उनवान	किता
1	88,89,91 212	87/19 60/19	मंदिर श्री चतुर्भुज बनाम तहसीलदार लाडपुरा	180 106
2	188,92ए 212	141/16 104/16	मंदिर श्री चतुर्भुज बनाम नरेश चन्द्र	79 34
3	188	85/16	मंदिर श्री चतुर्भुज बनाम सुगना	48
4	88,89,91 212	93/19 69/19	मंदिर श्री चतुर्भुज बनाम तहसीलदार गजेन्द्र सिंह	41 30

Received  
Kamal  
30/10/25

उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
कोटा

# न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

कमांक/रीडर/डीएम/2025/18

दिनांक:- 07.10.2025

## आदेश

उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा अपने पत्र कमांक/रीडर/2025/221 दिनांक 03.06.2025 से उनके न्यायालय के राजस्व वाद प्रकरण संख्या 141/2016, 104/16, 85/16, 87/19, 60/19, 93/19, 69/19 मन्दिर श्री चतुर्भुज जी विराजमान खेडली पुरोहित बनाम तहसीलदार श्री गजेन्द्रसिंह एवं अन्य के सम्बन्ध में निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में वह बतौर प्रतिवादी पक्षकार है। तत्समय उनको प्रतिवादी बतौर पक्षकार बनाया हुआ है तथा वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में पीठासीन अधिकारी के पद पर श्री गजेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.) कार्यरत है इसलिये उनके द्वारा प्रकरण की सुनवाई किये जाने में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना होने से उक्त पत्रावलियों को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी कोटा के उक्त पत्र दिनांक 3.6.2025 के साथ प्राप्त वादपत्र की प्रति का अवलोकन किया। जिस अनुसार प्रकरण सं० 141/2016, 104/16, 85/16, 87/19, 60/19, 93/19, 69/19 मन्दिर श्री चतुर्भुज जी विराजमान खेडली पुरोहित बनाम तहसीलदार श्री गजेन्द्रसिंह एवं अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा की आराजीयात के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में पृथक-पृथक विचाराधीन है। उक्त प्रकरणों में प्रतिवादी के रूप में श्री गजेन्द्र सिंह, तहसीलदार लाडपुरा (वर्तमान एसडीओ कोटा) होने से तथा उनके न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त प्रकरणों में सुनवाई किये जाने में विरोधाभास की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त प्रकरणों को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा से अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 235 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के प्रकरण संख्या 141/2016, 104/16, 85/16, 87/19, 60/19, 93/19, 69/19 मन्दिर श्री चतुर्भुज जी विराजमान खेडली पुरोहित बनाम तहसीलदार श्री गजेन्द्रसिंह एवं अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा से न्यायालय सहायक कलक्टर (मु०) कोटा में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उपखण्ड अधिकारी कोटा को आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की अनुपालना में आपके न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद मय प्रार्थना पत्रों को सहायक कलक्टर कोटा के न्यायालय में स्थानान्तरित करें तथा इसकी सूचना पक्षकारान को देते हुए न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा में उपस्थित होने हेतु तारीख नियत की जाकर पक्षकारान एवं वकील पक्षकारान को सूचित किया जावें। सहायक कलक्टर (मु०) कोटा को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण प्राप्त होने पर विधि अनुरूप सुनवाई करते हुए प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. उपखण्ड अधिकारी कोटा
2. सहायक कलक्टर (मु०) कोटा

P.C. Attested

प्रशासनिक अधिकारी  
कार्यालय जिला कलक्टर  
कोटा

(पीयूष सेमारियां)  
जिला कलक्टर कोटा  
जिला कलक्टर  
कोटा

जिला कलक्टर कोटा  
जिला कलक्टर  
कोटा